99

III/निग0/रीवा/भू-रा0/2017/3960

श्रीमान सम्मानित सदस्य महोदय महोदय ,राजस्व मंण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा म0 प्र0

5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये FIVE R

श्री उदयभान तिवारी तनय स्व0 यज्ञनारायण तिबारी निवासी ग्राम बक्षेरा तहसील रायपुर कर्चु0जिला रीवा (म0 प्र0)

अधिवक्ता श्री कीर्तिकुमार द्विवेदी द्वारा पेश 18-10-17

रीडर ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर

निगराकार

बनाम

1— श्री कैलाश प्रसाद तिवारी

2— बृन्दावन तिवारी दोनो के पिता स्व0 सुमेश्वर प्रसाद तिवारी दोनों का पेशा खेती तथा दोनो निवासी ग्राम बक्षेरा तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0 प्र0 .... गैर निगरानीकर्तागण

<u>निगरानी बिरूद्व आज्ञा श्रीमान् अनुबिभागीय अधिकारी तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0 प्र0 जरिये प्रकरण क0 1/अ 24/अपील /2013—2014 आदेश दि. 29.9.17 अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता सन् 19 59 ई0</u>

<u>मान्यवर,</u>

अन्य के अतिरिक्त निगरानी के आधार निम्न लिखित है—

1— यह कि अधिनस्थ न्यायालय की आज्ञा बिधि एवं प्रकिया के बिपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2— यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/गैर निगरानीकर्तागण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदनपत्र अंन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम को बिना साक्ष्य आदि लिये स्वीकार करते हुये 8 साल के बिलम्ब को माफ करने मे अहम कानूनी भूल की है। तथा इस बिधिक बिन्दु की ओर कतई घ्यान नही दिया है कि अधिनस्थ न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत अपील जो तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 6/6/2008 से 8 साल बाद प्रस्तुत की गयी है के माफ किये जाने का कोई र्प्याप्त व समुचित कारण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण कमांक 111/निग./17/3960 जिला– रीवा

पक्षकार का नाम उदयभान तिवारी/केदारप्रसाद तिवारी

(1)	(2)	(3)
28.12.17	प्रकरण प्रस्तुत । 2–आवेदक तथा आवेदक अधिवक्ता की पुकार कराई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः संहिता की धारा 35 (2) के तहत प्रकरण आदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 3– आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे। सदस्य	